झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः–7वि०शा०/मु०हजारी०–03–03/2019–33/19-20 प.ली./राँची, दिनांकः–26.08.19

प्रेषकः

अरूण कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखंड, हिनू, राँची

द्वाराः– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान जल संसाधन विभाग अन्तर्गत विभिन्न कटाव निरोधक/बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों हेतु मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग परिक्षेत्राधीन रू० 320.619 लाख (तीन करोड़ बीस लाख इकसठ हजार नौ सौ) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

1. वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान जल संसाधन विभाग अन्तर्गत विभिन्न कोडरमा जिला के ग्राम–सरबहना तथा गिरीडीह जिला के ग्राम– नावाडीह, नीमडीह एवं बेलाखुटा के पास सकरी नदी से हो रहे कटाव का कटाव निरोधक/बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों हेतु मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग परिक्षेत्राधीन रू० 320.619 लाख (तीन करोड़ बीस लाख इकसठ हजार नौ सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इसके अन्तर्गत निम्न कार्य कराये जायेंगे :-

क्र०सं०	कार्य का नाम	राशि(रू)
1.	कोडरमा जिलान्तर्गत सतगावाँ प्रखण्ड के ग्राम–सरबहना Anti erosion work crated boulder and edge crating with launching apron	63,01,200.00
2.	गिरीडीह जिलान्तर्गत गावाँ प्रखण्ड के ग्राम–नावाडीह Anti erosion work crated boulder and edge crating with launching apron	67,08,700.00
3.	गिरीडीह जिलान्तर्गत गावाँ प्रखण्ड के ग्राम–नीमडीह Anti erosion work crated boulder and edge crating with launching apron	1,00,89,500.00
4.	गिरीडीह जिलान्तर्गत गावाँ प्रखण्ड के ग्राम–बेलाखुटा Anti erosion work crated boulder and edge crating with launching apron	89,62,500.00
	कुल	**3,20,61,900.00**

3. इस कार्य के लिए कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमंडल, बरही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होगें तथा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

4. **इस कार्य पर होने वाला व्यय :–**

मुख्य शीर्ष 4711–बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष –01–बाढ़ नियंत्रण लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना –उप शीर्ष–58–नई बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों के निर्माण के अन्तर्गत भारित होगा।

5. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जायेगा।
6. राशि की निकासी कोषागार, हजारीबाग से की जायेगी।
7. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।
8. इन कार्यो को वर्ष 2019–20 में पूर्ण कर लिया जायेगा।
9. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
10. इस कार्य की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी, कार्य के प्रारम्भ, कार्य के दौरान एवं कार्य के पूर्ण होने पर करा लिया जायेगा।
11. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
12. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

26.8.19

(अरूण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

पत्रांकः–7वि०शा०/मु०हजारी०–03–03/2019–33/19–20 प.(ल)/राँची, दिनांकः–26.08.19

प्रतिलिपिः–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखंड, राँची को संसूचनार्थ/योजना–सह–वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखंड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

26.8.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः–7वि०शा०/मु०हजारी०–03–03/2019–33/19–20 प.(ल)/राँची, दिनांकः–26.08.19

प्रतिलिपिः– कोषागार, पदाधिकारी, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित्।

26.8.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

D:\Nirmal\Vikash Shakha\Administrative Approval Order\Anti Erosion Work- Hazaribagh- Waterways Div Barhi.doc

पत्रांकः—7वि०शा० / मु०हजारी०—03—03 / 2019—33/19-20 प्र०स्वी० / राँची, दिनांकः— 26.08.19

प्रतिलिपिः— अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची / अभियंता प्रमुख—I, जल संसाधन विभाग, राँची / उप सचिव (अभि०) जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची / मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग / अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, हजारीबाग / अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल—1 / 2 / 3 राँची एवं अवर सचिव—7 जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

26.8.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः—7वि०शा० / मु०हजारी०—03—03 / 2019—33/19-20 प्र०स्वी० / राँची, दिनांकः— 26.08.19

प्रतिलिपिः आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर को सूचनार्थ प्रेषित् करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्र्तगत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

26.8.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः—7वि०शा० / मु०हजारी०—03—03 / 2019—33/19-20 प्र०स्वी० / राँची, दिनांकः— 26.08.19

प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित / कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल सं०—3, राँची को प्रशासनिक स्वीकृति On-line करने हेतु प्रेषित।

26.8.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव